पुरातत्व धरोहरों के संरक्षण पर विभाग गंभीर नहीं

नवभारत न्यूज

पन्ना, 6अप्रैल। महाराजा छत्रसाल की नगरी पन्ना समेत जिलेभर मे पुरा संपदा बिखरी पडी है। इनको सहेजने और संवारने के समुचित प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। अनदेखी के चलते जिले के वैभवशाली इतिहास की जानकारी यहां के लोगों को नहीं मिल रही है। अजयगढ़ का किला संरक्षित स्मारक घोषित होने के बाद भी इसका समुचित रखरखाव नहीं हो रहा है।

कमावेश यही हाल सिद्धनाथ नांदचांद और नचने के पार्वती मंदिर का है। मोहंद्रा में रैपुरा खुदाई के दौरान हजारों साल पुरानी

प्रतिमाएं मिल जाती हैं। इनको सुरक्षित करने के लिए समुचित प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। लोगों ने घरों के सामने, चबूतरों में प्रतिमाओं को लगा ली है।

पुरातत्व विभाग की ओर से संग्रहालय भवन का निर्माण कराया गया है। यहां खुदाई के दौरान जगह जगह प्राचीन प्रतिमाएं मिलती हैं। लोगों ने घरों और चबूतरों में प्रतिमाओं को रखवाया है। पुरातत्व विभाग की ओर से प्राचीन प्रतिमाओं के संरक्षण का कोई प्रबंध नहीं किया जा रहा है।

अजयगढ़ किले के रंगमहल के बाहर की खुदाई:- महाराजा छत्रसाल की गढ़ी और मुख्यालय में बने मकबरों के संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। कुछ साल पहले दफीनाखोरों ने गड़ धन की लालच मे खोद डाला था। कुछ माह पहले ऐसा ही मामला अजयगढ़ किले में रंगे महल के बगल में भी सामने आया था। पुलिस आज तक दफीनाखोरों का सुराग नहीं लगा पाई है। समुचित संरक्षण नहीं हो पा रहा है जिला मुख्यालय में महाराजा छत्रसाल के वंशजों के करीब एक दर्जन मकबरे हैं। ज्यादातर मकबरों को दफीनाखोरों ने अपना निशाना बनाया। मकबरों के ऊपर बडे बडे पेड उग आए हैं। जिनके कारण इनका अस्तित्व खतरे में हैं। यहां के एतिहासिक स्थलों का पर्यटन केंद्र के रूप में विकास नहीं होने के कारण वे उपेक्षित हैं। खंडहर में तब्दील होकर अपना अस्तित्वब खोते जा रहे हैं। पुरातत्व विभाग ने कुछ मकबरों को संरक्षित करने की पहल की है, लेकिन ज्यादातर अभी भी उपेक्षित हैं।

रैपुरा के खेतों झाड़ियों में बिखरी धरोहर:- रैपुरा से 2 किमी. दूरी पर स्थित तालाब के पास सैंकड़ों वर्ष पूर्व के मंदिर के अवशेष मिले थे। देवगांव, रैपुरा का खेतिहार क्षेत्र है। जहां किसानों के खेत हैं। तालाब के आसपास पैदल घूमने पर हमें झाड़ियों में मंडोर और मूर्तियों के अवशेष पड़ हुए हैं।

भगवान श्रीराम आए, महर्षि अगस्त्य से विद्याएं प्राप्त कीं

पन्ना जिले के गुनौर तहसील अंतर्गत पटना तमोली गांव के पास स्थित है सिद्धनाथ मंदिर। यह मंदिर उत्तर गुप्तकाल में बनवाया गया। इसमें शिखर के साथ गर्भगृह और मंडप स्थापित है। द्वार पर नदी देवी गंगा और यमुना स्थापित हैं। स्तंभों पर भार साधक, सिरदल पर शिव विराजमान हैं। मंदिर की भित्तियों पर विभिन्न देवी देवताओं के साथ मूर्तियां भी हैं। इस मंदिर के पूर्व भी इस स्थान का विशेष महत्व था। यहां महर्षि अगस्त्य का आश्रम था। अपने वनवासकाल में भगवान श्रीराम भी जानकी और लक्ष्मण के साथ आये थे। कुछ दिन यहां ठहरकर महर्षि से विद्याएं प्राप्त की थी। पन्ना जिले में 4 स्थल राम वन पथगमन में शामिल हैं, जिनमें यह प्रमुख है। मंदिर परिसर में ऋषि अगस्त्य, धनुष में संधान करते हुए भगवान राम, राम दरबार आदि अन्य मंदिर स्थापित है। हाल ही में पर्यटन विभाग द्वारा रोड सीढ़िया बनवाई गई है, यह स्थान पर वर्षो तक उपेक्षित रहा जिससे जिले के अधिकांश लोगों को इसकी जानकारी नहीं है।

नांदचांद में 8वीं सदी का मंदिर, लोग खुद कर रहे रखरखाव

नांदचांद में 8 वीं सदी का शिव मंदिर है। गर्भ गृह का द्वार पर सुंदर नक्काशी है। यम और यमुना दोनों का अंकन एक साथ है। सामान्य मंदिरों के नदी देवियां गंगा-यमुना का अंकन होता है लेकिन इस मंदिर में यमुना के साथ उनके भाई यमराज का भी अंकन है। जो कि इस मंदिर को विशेष बनाती है। मंदिर में भगवान गणेश के साथ कार्तिकेय का अंकन है। शिव मंदिर के सामने पार्वती मंदिर है, मंदिर के आसपास प्राचीन मूर्तियां खण्डित अवस्था में पड़ी है। वर्तमान में मंदिर का रखरखाव स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से मूर्तियों के संरक्षण को लेकर समुचित प्रबंध नहीं है।

कलेक्टर ने की राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा

नवभारत न्यूज

पन्ना, 6 अप्रैल। कलेक्टर ऊषा परमार ने सोमवार की सायं कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा कर अधिक अवधि के प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ तत्काल निराकृत करने के निर्देश दिए।

इस दौरान निर्देशित किया गया कि किसी भी स्थिति में राजस्व प्रकरण समय बाह्य न हों। बंटवारा, सीमांकन एवं अविवादित नामांतरण प्रकरण तात्कालिक रूप से कोर्ट में दर्ज कर समयावधि में इनका निराकरण किया जाए। इस मौके पर राजस्व विभाग अंतर्गत सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों के निराकरण सहित प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत निकायवार हितग्राहियों की पात्रतानुसार अनुमोदन तथा योजना का लाभ प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही नगरीय निकायों में सर्वेक्षण उपरांत पट्टा वितरण कार्यवाही के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके अलावा मिशन कर्मयोगी अंतर्गत विभागीय कार्यों में दक्षता के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण अनिवार्यत: 2 दिवस में पूर्ण करने के लिए भी निर्देशित किया गया। बैठक में अपर कलेक्टर मधुवंतराव धुर्वे सहित तहसीलदार भू संसाधन प्रबंधन मेघेन्द्र बंदोपाध्याय भी उपस्थित रहे।

व्हाइट टाइगर सफारी में एक्सपोज़र विजिट एवं अनुभूति कैंप आयोजित

नवभारत न्यूज

पन्ना, 6अप्रैल। वन्यप्राणियों के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता विकसित करने तथा पन्ना जिले के युवाओं का एक्सपोज़र बढ़ाने के उद्देश्य से दक्षिण पन्ना वनमण्डल द्वारा मोहन्द्रा वन परिक्षेत्र में ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं के लिए मुकुंदपुर जू एवं व्हाइट टाइगर सफारी में विशेष अनुभूति कैंप एवं एक्सपोज़र विजिट कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम में ब्यूटीशियन एवं टेलर ट्रेड के प्रशिक्षणार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिभागियों को मुकुंदपुर स्थित विश्व प्रसिद्ध व्हाइट टाइगर सफारी का भ्रमण कराया गया, जहाँ उन्होंने प्राकृतिक परिवेश में श्वेत बाघों को देखा एवं उनके संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। साथ ही, विभिन्न बाड़ों, बटरफ्लाई पार्क, बर्ड एवियरी तथा रेप्टाइल हाउस का अवलोकन कर जैव विविधता की समृद्धता को समझा। यह सफारी देश के प्रमुख वन्यजीव पर्यटन स्थलों में से एक है, जहाँ वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाता है। मोहन्द्रा वन परिक्षेत्र के रेंज ऑफिसर राहुल मिश्रा द्वारा कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं। इस एक्सपोज़र विजिट में मोहन्द्रा, इटहा एवं पडरहा ग्राम वन समितियों के प्रतिभागियों ने भाग लिया।

दिल्ली कूच कर रहे किसानों को रोकने पर भड़का जनाक्रोश

जिला प्रशासन की लचर व्यवस्था के चलते सुनवाई न होने का परिणाम

नवभारत न्यूज

पन्ना, 6 अप्रैल। पन्ना-छतरपुर क्षेत्र में आदिवासी किसानों का आंदोलन अब निर्णायक और उग्र चरण में पहुंच गया है। आज हजारों किसानों के दिल्ली कूच को प्रशासन द्वारा जगह-जगह रोकने के प्रयास के बाद व्यापक जनआक्रोश देखने को मिला।

इस आंदोलन की विशेषता यह रही कि यह अब किसी एक परियोजना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि केन-बेतवा लिंक परियोजना, नेगवा लघु सिंचाई परियोजना, मझगय मध्यम सिंचाई परियोजना, रून्झ लघु सिंचाई परियोजना एवं एनटीपीसी पावर प्लांट से प्रभावित लोग एक मंच पर आ गए हैं।

इससे यह आंदोलन एक संयुक्त जनआंदोलन बन गया है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि विकास के नाम पर आदिवासी एवं किसानों से उनका जल-जंगल-जमीन, आजीविका, घर और सांस्कृतिक अस्तित्व छीना जा रहा है। पिछले कई वर्षों से किसान लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखते आए हैं। ज्ञापन, शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन, जल सत्याग्रह, खून से पत्र और सांकेतिक फांसी जैसे कदम उठाने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसी के चलते कल हजारों किसान पन्ना के डायमंड चौराहे पर एकत्रित हुए थे, जहां से उन्हें दिल्ली कूच करना था। लेकिन प्रशासन द्वारा दमनात्मक कार्रवाई करते हुए वाहनों को रोका गया, चालान की धमकी दी गई और कई गाड़ियों को वापस भेज दिया गया। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब पन्ना में किसानों की रैली तक नहीं निकलने दी गई। इससे आक्रोशित किसानों ने डायमंड चौराहे पर प्रशासन का पुतला दहन किया और वहीं धरने पर बैठकर संघर्ष को और तेज करने की घोषणा की। बाद में रैली को छतरपुर की ओर बढ़ने की अनुमति दी गई, लेकिन मंडला, चंद्रनगर, बमीठा और देवगांव टोल टैक्स के पास भारी पुलिस बल तैनात कर फिर से किसानों को रोका गया। इस दौरान कई स्थानों पर पुलिस और किसानों के बीच तीखी झड़पें भी हुई। आंदोलन में शामिल आदिवासी महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने महुआ बेचकर और कठिन परिस्थितियों में आटा व अन्य राशन की व्यवस्था की थी, लेकिन प्रशासन द्वारा उनके साथ लाया गया सामान छीनकर फेंक दिया गया। इसके बाद कई महिलाओं और किसानों को पैदल ही कई किलोमीटर चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। वर्तमान में भी बड़ी संख्या में किसान पैदल ही आंदोलन स्थल की ओर बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। चारों ओर से लोग समूहों में जुड़ते जा रहे हैं, जिससे आंदोलन का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर ने कहा कि किसानों को अपनी बात रखने के लिए दिल्ली जाने से रोकना लोकतंत्र पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि जब शांतिपूर्ण प्रयासों के बावजूद न्याय नहीं मिला, तो दिल्ली कूच का निर्णय लिया गया, लेकिन अब वहां जाने से भी रोका जा रहा है, जिससे किसानों में गहरी पीड़ा और आक्रोश है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने अपना दमनात्मक रवैया नहीं बदला, तो आंदोलन और अधिक तीव्र और व्यापक रूप लेगा।

ग्राम पंचायत तिघरा हुआ साइबर ठगी का शिकार

सलेहा, 6 अप्रैल। सलेहा समीपस्थ ग्राम पंचायत तिघरा बुजुर्ग निवासी करतरिया का मेट प्रहलाद कुमार सेन पिता गिरधारी लाल सेन उम्र 34 बर्ष द्वारा पुलिस थाना सलेहा में 6 अप्रैल को रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा बीस हजार रुपए का मोबाइल से ट्रांजैक्शन कर लिया गया है। अज्ञात द्वारा मोबाइल नंबर 7734043940 द्वारा फोन लगा कर मुझसे यह कहां की सरपंच बागरी ने नम्बर दिया है। कहा की में पीएचई विभाग से बोल रहा हूं, तुम अपनी पंचायत की आंगनबाड़ी एवं सहायिका का नंबर दो मुझे नल कनेक्शन संबंधी कार्य है। इसके बाद उसने कहां की बोर कराने के लिए में तुम्हारे यूपीआई नम्बर पर बीस हजार रुपए भेज दिया है, मेसेज आया होगा, चेक कर लो, जैसे ही मेसेज देखा तो मेरे खाते से बीस हजार रुपए गायब हो गये। जिसकी सूचना पुलिस थाना में की गई।

बाजार में उपभोक्ता के साथ लूट, कहीं भी नहीं दिखता उपभोक्ता संरक्षण

नवभारत न्यूज

पन्ना, 6 अप्रैल। बाजार में चाहे मण्डी हो या किराने की दुकान जहां भी उपभोक्ता सामग्री की बिक्री की जाती है वहां उपभोता संरक्षण के नियमों व सिद्धान्तों का पालन नहीं हो रहा है। किन्तु दुर्भाग्य का विषय है कि जहां उपभोक्ता के साथ मनमानी लूट हो रही है वहां प्रशासन की तरफसे कभी कोई कार्रवाई नहीं होती।

यही कारण है कि उपभोक्ता को इस महगाई के दौर में कई तरह से लूटा जा रहा है। इसलिये सवाल खड़ा होता है कि यदि उपभोक्ता संरक्षण को लेकर नियम कानून बने हुये हैं तो उसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफमामलों पर स्वयं संज्ञान लेने के लिये कौन सा विकल्प है? कौन सा विभाग है जो इस पर कार्रवाई कर सकता है? नहीं करता तो यो नहीं कर रहा है?

मात्रा और रेट पर सवाल:- पिछले कुछ समय देखा जा रहा है कि बाजार में उपभोता जब कोई सामग्री क्रय करने जाता है तो यदि क्रय की जाने वाली सामग्री की मात्रा कम है तो उसका रेट अलग लिया जाता है, किलो का रेट अलग लिया जाता है, आधा किलो की सामग्री का रेट अलग लिया जाता है और एक पाव व पचास सौ ग्राम का रेट अलग वसूल किया जाता है। हर सामग्री की एमआरपी जब निर्धारित है तो उपभोता चाहे जिस मात्रा में सामग्री क्रय करे उसी हिसाब से उसका रेट लिया जाना चाहिये। किन्तु ऐसा नहीं होता। व्यापारी उपभोक्ता को लूटने के लिये कम मात्रा में क्रय की जाने वाली सामग्री का रेट मनमानी तरीके से कुछ न कुछ अधिक बढ़ाकर ले रहा है। इस तरह की स्थिति न केवल सजी मण्डी में चल रही है अपितु कई किराने की दुकानों में भी हो रहा है। यदि कोई सामग्री की एक किलो की कीमत सौ रूपये है तो आधा किलो लेने पर पचास रूपये ही होगी वह पचपन या साठ रूपये नहीं हो सकती। किन्तु यहां लूटने के नये-नये तरीके अपनाये जा रहे हैं। यह सब इसलिये हो रहा है क्योंकि उपभोता संरक्षण को लेकर जो सरकारी संस्थायें हैं वे बाजार में हो रही लूट को लेकर सक्रिय व गंभीर नहीं हैं।

छोटे सिक्कों को लेकर पहले से ही मनमानी

यह भी सही है कि एक लंबे समय से छोटे व कम मूल्य के सिक्कों को बाजार में न तो स्वीकार किया जाता और न ही इस विषय में कोई कार्रवाई ही की जा रही है। जो सिके अभी भी प्रचलन में हैं और आरबीआई की तरफसे बंद नहीं हुये हैं उन्हें बाजार में स्वीकार यों नहीं किया जाता। यही कारण है कि एक समय पर दस रूपये के सिकों को लेकर भी इतनी तेज अफवाह फैली थी कि उसे बाजार में अस्वीकार किया जाने लगा था। पचास पैसे एवं एक रूपये के सिक्के तो बाजार में प्रचलन में ही नहीं दिखते। उनके स्थान पर यदि उपभोक्ता को व्यापारी से लेना होता है तो बदले वह कुछ न कुछ सामग्री प्रदान कर देता है। भले ही उपभोक्ता उसे नहीं लेना चाहता हो। इससे समझा जा सकता है कि बाजार में एक तरफसिकों के प्रचलन को लेकर उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी हो रही है वहीं दूसरी तरफमात्रा और रेट को लेकर भी लूट हो रही है। आखिर शासन व प्रशासन इस दिशा में भी कभी विचार कर पायेगा? उपभोक्ता संरक्षण के नाम पर संचालित कई निजी संस्थाओं की दुकाने तो यहां बहुत चल रही हैं किन्तु उनकी तरफसे भी ऐसे विषयों पर कोई आवाज नहीं उठाई जाती है। तब सवाल उठता है कि उपभोक्ता संरक्षण को लेकर जो नियम कायदे बनाये गये हैं उनका या औचित्य है।

204 नग गांजा के हरे पौधे तथा पौने सात किलो सूखा गांजा सहित एक आरोपी गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

पन्ना, 6 अप्रैल। पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती निवेदिता नायडू के निर्देशन में पन्ना पुलिस द्वारा सिमरिया थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ (गाँजा) के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 आरोपी को गिरफ्तार किया तथा आरोपी के कब्जे से कुल 1 किलो 670 ग्राम अवैध मादक पदार्थ (सूखा गाँजा) मय बोरी के कीमत लगभग 13000 रुपये एवं अवैध हरे गाँजा के पौधे कुल 204 नग वजनी करीब 540 ग्राम कीमत 2000 रूपए जप्त किया गया है।

पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी सिमरिया निरीक्षक माधवी अग्निहोत्री के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम 05 अप्रेल को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बडखेरा में 01 व्यक्ति अपने घर में सूखा गांजा एंव बारी में गांजे के पौधे लगाये होने की सूचना प्राप्त हुई। मुखबिर के बताये स्थान पर पहुँचकर देखा गया, जहाँ 01 व्यक्ति अपने घर की बारी में गांजे के पौधे लगाए है व घर में सूखा गांजा रखे हुए है जो पुलिस को देखकर घर से भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम द्वारा तत्परता से घेराबंदी कर उक्त संदेही को पुलिस अभिरक्षा में लिया जाकर पूँछताछ की गई एवं आरोपी प्रहलाद लोधी पिता नंगा लोधी निवासी ग्राम बडखेरा थाना सिमरिया जिला पन्ना को गिरफ्तार किया जाकर आरोपी के विरूद्ध थाना सिमरिया में एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है।

मुख्य मार्ग का नगर परिषद एवं राजस्व टीम ने हटाया अतिक्रमण

नवभारत न्यूज

अजयगढ़, 6 अप्रैल। अजयगढ़ स्थानीय प्रशासन ने आज नगर के मुख्य मार्ग से कृषि फार्म चौराहे तक का सड़क के एक तरफ का अतिक्रमण जो अस्थाई रूप से लोग सड़क पर अतिक्रमण किए हुए थे उनको जेसीबी ले जाकर हटाया गया।

कई दिनों से स्थानीय प्रशासन के अधिकारी एसडीएम, तहसीलदार, सीएमओ द्वारा सड़क का भ्रमण करके लोगों को अवगत कराया था कि इस मुख मार्ग का अतिक्रमण हटाया जाएगा। अतिक्रमण हटाने के पूर्व एक दिन चूने की लाइन डालकर सड़क चिन्हित की गई थी कि लोग अपने आप अतिक्रमण हटा लें, जिसमें जय स्तंभ, बस स्टैंड, मंडी चौराहा, थाने के सामने आदि जगहों पर लोग अपने आप अपने टीन सेट सहित अस्थाई अतिक्रमण किए थे सुबह से ही खोलने लगे। दिन के करीब 2 बजे एसडीएम आलोक मार्को, तहसीलदार सुरेंद्र कुमार, नायब तहसीलदार

धनीराम, सीएमओ शशि कपूर गडपाले, नगर परिषद का राजस्व अमला सहित पुलिस बल जयस्तंभ चौक पहुंचे और अजय पाल स्टेडियम की तरफसे अतिक्रमण हटाना प्रारंभ किया जो बस स्टैंड मुख्य मार्ग, साप्ताहिक बाजार, मंडी चौराहा, थाने के सामने से होते हुए कृषि फार्म तक हटाया गया। अतिक्रमण की इस कार्यवाही में कुछ जगह थोड़ी बहुत नोक झोंक भी अधिकारियों से हुई परंतु अधिकारियों ने सड़क के एक तरफका तथा दूसरे दिन दूसरी तरफका अतिक्रमण कर हटाने का निर्णय लिया। बता दें कि नगर का यह मुख्य मार्ग है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की आवाजाही रहती है क्योंकि इसी मार्ग पर बस स्टैंड मंडी कोतवाली तहसील एसडीएम कार्यालय न्यायालय लोक सेवा केंद्र मॉडल स्कूल शासकीय महाविद्यालय सहित अनेक शासकीय कार्यालय के लोगों का आना-जाना रहता है एवं यहां पर साप्ताहिक बाजार और नगर का मुख्य बाजार भी इस मार्ग में लगता है जिससे यह सबसे नगर की व्यस्ततम सड़क रहती है। यहां पर अतिक्रमण के चलते आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है जिससे नगर के आम नागरिकों को जाम के झाम में फंसकर परेशान होना पड़ता है। सड़क के दोनों तरफ दुकानदारों द्वारा वेंजा अतिक्रमण करके सड़क को संकीर्ण कर दिया गया था। इस अभियान में एसडीएम आलोक मार्को, तहसीलदार सुरेंद्र कुमार, नायब तहसीलदार धनीराम, सीएमओ शशि कपूर गढ़पाले, दीपेंद्र तिवारी, बृजेंद्र तिवारी, संजय जैन, रतिराम प्रजापति सहित राजस्व नगर परिषद पुलिस बल मौजूद रहा।

अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकथाम के संबंध में निर्देश

नवभारत न्यूज

पन्ना, 6 अप्रैल। आगामी 20 अप्रैल को अक्षय तृतीय पर्व पर संपन्न होने वाले वैवाहिक कार्यक्रमों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह होने की संभावना के दृष्टिगत इसकी रोकथाम के लिए खंड स्तरीय एवं ग्राम स्तरीय दल का गठन किया गया है।

कलेक्टर ऊषा परमार ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, थाना प्रभारी, जनपद पंचायत सीईओ एवं महिला व बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। बाल विवाह पर निगरानी एवं रोकथाम के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में खंड स्तरीय दल का गठन किया गया है।

इस दल में थाना प्रभारी, जनपद पंचायत सीईओ, परियोजना अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी बतौर सदस्य शामिल होंगे, जबकि सरपंच की अध्यक्षता में गठित ग्राम व वार्ड स्तरीय दल में पंच, शिक्षक, पंचायत सचिव, एएनएम एवं आशा कार्यकर्ता, स्वसहायता समूह एवं शौर्या दल के सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका व मातृ सहयोगिनी समिति सदस्य सहित एक निजी संस्था के प्रतिनिधि को सदस्य बनाया गया है। दल द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालकों के विवाह की निगरानी की जाएगी। बाल विवाह की स्थिति में यह दल रोकथाम के लिए जिम्मेवार होगा।

लंबित प्रकरणों के निराकरण की हुई समीक्षा, बगैर सुनवाई फोर्स क्लोज न करें : परमार

नवभारत न्यूज

पन्ना, 6 अप्रैल। कलेक्टर ऊषा परमार ने कहा है कि सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों का व्यवहारिक रूप से संतुष्टिपूर्वक निराकरण किया जाए। बगैर सुनवाई के शिकायतों को फोर्स क्लोज न करें, बल्कि आवेदक को समक्ष में शिकायतों के निराकरण के संबंध में कारण सहित अवगत कराया जाए। लंबित शिकायतों के प्रभावी व संतुष्टिपूर्ण निराकरण के लिए निरंतर प्रयास किया जाए।

जिला कलेक्टर ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ टीएल बैठक में विभागवार लंबित टीएल और जनसुनवाई पत्रों की भी समीक्षा की।

इस दौरान प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में विभागवार विभिन्न समितियों के गठन के संबंध में तत्परतापूर्वक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। किशोरी बालिकाओं के एचपीवी टीकाकरण में प्रगति कम होने पर नाराजगी व्यक्त की गई तथा इसकी सतत् मॉनिटरिंग सहित लापरवाह कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पानी एवं पेयजल संबंधी शिकायतों के निराकरण सहित डायमण्ड म्यूजियम के निर्माण में तेजी के लिए अपेक्षित कार्यवाही, अवमानना प्रकरणों में पारित आदेश का अवलोकन कर समय पर जबावदावा प्रस्तुत करने सहित सलेहा-नागौद रोड और पड़रिया बायपास के मुद्दों के निराकरण पर भी चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त खाद्यान्न उठाव, परिवहन एवं वितरण तथा पेट्रोल, डीजल एवं गैस सिलेंडर की आपूर्ति व्यवस्था पर विचार विमर्श कर आवश्यक निर्देश भी दिए गए। बैठक में जिला कोषालय अधिकारी गौरव गुप्ता द्वारा नियमित कर्मचारियों के एम्पलाई कोड के साथ समग्र लिंकिंग कार्यवाही के संबंध में जानकारी दी गई। बताया गया कि विभिन्न विभागों के 149 कर्मचारियों द्वारा अब तक आईएफएमआईएस सॉफ्टवेयर पर समग्र आईडी लिंक करने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है। इसे तत्काल पूर्ण कर लें अन्यथा वित्त विभाग के निर्देशानुसार ऐसे कर्मचारियों के वेतन आहरण पर रोक लगेगी। आगामी दिवसों में गैर नियमित तथा मानसेवी व अंशकालिक कर्मचारियों के भी समग्र लिंकिंग कार्रवाई आरंभ करने के बारे में अवगत कराया गया। साथ ही आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कई विभागों में नियोजित कर्मचारियों को पारदर्शी तरीके से नवीन वित्तीय वर्ष में राशि भुगतान की व्यवस्था के साथ पीएफ और बीमा राशि की कटौती इत्यादि की जानकारी भी दी गई। जिला कलेक्टर ने बैठक में मिशन कर्मयोगी अंतर्गत आगामी 8 अप्रैल तक आयोजित साधना सप्ताह में सभी शासकीय सेवकों के पंजीयन और न्यूनतम 4 घंटे एवं 5 पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कार्यालय प्रमुखों को स्वयं तथा अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देशित करने के निर्देश दिए। अनिवार्य रूप से पटवारी और ग्राम रोजगार सहायक की भी पोर्टल पर कोर्स ट्रेनिंग पूर्ण करवाने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी एवं अपर कलेक्टर मधुवंतराव धुर्वे सहित अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।